

मूल वाद में प्रा० डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. रामकिशोर पुत्र श्री गुलाबचन्द अग्रवाल, जाति अग्रवाल महाजन, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. लल्लूराम पुत्र मोहरू जाति खटीक, निवासी ग्राम मोरीजा, तह० चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 32/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा० डिक्री दी जाती है कि उभयपक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित ख०न० 1340/4898, 1339, 1340 किता 3 का कुल रकबा 0.84 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरीजा, तह० चौमूं, जिला जयपुर के वर्तमान नक्शे अनुसार एक दुसरे की सीमा में दखलन्दाजी नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मोरीजा मे आज तारीख 16.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर



(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुददई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अजी वकील	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर